



माननीय मुख्यमंत्री, हि.प्र.



माननीय कृषि मन्त्री, हि.प्र.

कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा



किसानों
के लिए चलाई जा रही योजनाएं
तथा सहायता कार्यक्रम



कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश,
शिमला-5

वर्तमान भूमि का वर्गीकरण

क्र.स.	वर्गीकरण	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	कुल भौगोलिक क्षेत्र	
क	व्यवसायिक सर्वेक्षण द्वारा	55,67,300
ख	ग्राम सर्वेक्षण द्वारा	45,77,984
2.	वन	11,23,800
3.	बंजर एवं कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि	7,65,774
4.	गैर कृषि कार्यों के लिए आरक्षित भूमि	3,65,258
5.	स्थायी चरागाह एवं अन्य चरागाह भूमि	15,02,648
6.	विविध कृषि वन फसलों के तहत भूमि	67,643
7.	कृषि वाली बंजर भूमि	1,24,853
8.	अन्य परती भूमि	23,270
9.	वर्तमान परती भूमि	78,844
10.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	5,25,894
11.	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	3,72,689
12.	कुल बोया गया क्षेत्र	8,98,583
13.	फसल सघनता	170.87 %
14.	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	1,20,186

स्रोत— भू0 अभिलेख विभाग, हि.प्र. (वर्ष 2020—2021)

भू-जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतों की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार (हैक्टेयर)
1.0 से कम	सीमान्त	7.12 (71.41%)	2.86 (30.30%)	0.40
1.0—2.0	लघु	1.74 (17.45%)	2.42 (25.63%)	1.39
2.0—4.0	अर्ध— मध्यम	0.82 (8.23%)	2.23 (23.62%)	2.72
4.0—10.0	मध्यम	0.26 (2.61%)	1.46 (15.47%)	5.62
10.0 व अधिक	बड़े	0.03 (0.30%)	0.47 (4.98%)	15.67
	जोड़	9.97	9.44	0.95

स्रोत— आर्थिक एवम् सांख्यिकी विभाग, हि.प्र. (वर्ष 2021—2022)

राज्य प्रायोजित योजनाएँ :-

(1) मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना

- (क.) कृषि आदानों पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान का प्रावधान
(ख) समूह के माध्यम से सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना
(ग.) कृषि विभाग द्वारा सभी किसानों के लिए निःशुल्क मिट्टी परीक्षण सुविधा व मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण। किसानों के लिए 9 मोबाइल, 11 अचल व 47 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुविधा ।
(घ) मिश्रित खादों जैसे डी.ए.पी.18:46:0, एन.पी.के.12:32:16 , एन.पी.के 10:26:26 व एन.पी.के. 15:15:15 की कीमत पर 1000 रुपये प्रति मिट्टिक टन उपदान का प्रावधान ।

(2) मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना

(अ.) खेत संरक्षण योजना :

- (1) कांटेदार तार अथवा चैनलिंग बाड़ लगाने के लिये 50 प्रतिशत उपदान
(2) समग्र (कंपोजिट) बाड़ लगाने के लिए 70 प्रतिशत उपदान का प्रावधान ।
(3) विभाग द्वारा वर्ष 2016 से 2018-19 के दौरान स्थापित सौर बाड़बन्दी प्रणालियों को समग्र (कम्पोजिट) बाड़बन्दी (1.20 मीटर ऊँचाई तक चैनलिंग) में बदलने हेतु वर्ष 2022-23 से 50 प्रतिशत उपदान का प्रावधान ।

योजना के अंतर्गत अनुमोदित घटक दरें निम्न हैं:-

क्र०	घटक का विवरण	इकाई	स्वीकृत दरें
1	अलार्म में निर्मित 1 एनर्जीजर: इनपुट वोल्टेज: 12 वी डीसी, इनपुट वर्तमान: 500 एमए, आउटपुट वोल्टेज: 6.0 केवी -10.0 केवी, पल्स अंतराल: 1.20 सेकंड, पल्स अवधि: 0.3 मिली सेकंड, आउटपुट ऊर्जा : 2.50 जौल्स	प्रति	10400.00
2	सौर पीवी मॉड्यूल -72 (अलग दर उद्धृत की जा सकती है)	प्रति	4500.00
	सौर पीवी मॉड्यूल - 100 डब्ल्यूपी (अलग दर उद्धृत की जा सकती है)	प्रति	5300.00
3	लाइटनिंग डाइवरटर-कॉपर	प्रति	885.00
4	हाऊसिंग बॉक्स पोस्ट के साथ	प्रति	5500.00
5	मॉड्यूल स्टैंड	प्रति	850.00
6	बैटरी 80 ए.एच. - 12 वोल्ट	प्रति	11500.00
	बैटरी 100 ए.एच. - 12 वोल्ट		14000.00
	बैटरी 120 ए.एच. - 12 वोल्ट		16900.00
7	अर्थिंग प्रणाली	प्रति	450.00
8	स्ट्रेन इन्सुलेटर	प्रति	14.00
9	रील इन्सुलेटर	प्रति	8.00

10	उच्च तन्व्यता तार- एसीएसआर कंडक्टर तार, 2.59 मिमी (12 गेज), टाटा मेक	मी0	6.25
11	वायर टाइटनर्स	प्रति	62.00
12	टैशन स्प्रिंग्स	प्रति	147.00
13	ज्वाइंटिंग क्लैप	प्रति	8.00
14	चेतावनी संकेत बोर्ड	प्रति	30.00
15	डबल इन्सुलेटिड लीड आउट केबल, 2.5 मिमी व्यास स्टील कोर वायर जोकि लगभग 20,000 वोल्ट लो रेजिस्टेंस, लगभग 0.035 ओ.एच.एम/एम	मी0	25.00
16	टूल किट	प्रति	800.00
17	बाड़ गेट नियंत्रक ड्रॉप चेन सहित	प्रति	200.00
18	कट आउट स्विच	प्रति	1500.00
19	सैक्शन/ कॉर्नर पोस्ट – जस्ती, 40 मिमी डाया पाइप के साथ एमएस, पीपी इन्सुलेटर रिवेटिंग के साथ 2.74 मीटर	प्रति	1130.00
20	सपोर्ट पोस्ट– जस्ती, 25 मिमी डाया पाइप के साथ एमएस, पीपी इन्सुलेटर रिवेटिंग के साथ 2.60 मीटर	प्रति	790.00
21	इंटरमीडिएट पोस्ट – एमएस जस्ती, 25 मिमी डाया पाइप, 2.60 मीटर पीपी इन्सुलेटर रिवेटिंग के साथ एनओएस	प्रति	790.00
22	डिजिटल वोल्ट मीटर	प्रति	4720.00
23	एक्सनोन फ्लैश ट्यूब	प्रति	700.00
24	नियॉन परीक्षक	प्रति	525.00
25	खम्बों की नीव का खुदाई कार्य एवं पीसीसी 1:3:6 की ग्राऊटिंग का कार्य	घन मी0	4700.00
26	हार्न	प्रति	220.00
27	स्थापना शुल्क	प्रतिमी0	75.00
28	सिस्टम परीक्षण और कमीशनिंग	प्रति	2360.00

4. योजना के अन्तर्गत कांटेदार तार लगाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान का प्रावधान।

4.1 लोहे के पोल के साथ कांटेदार तार की बाड़बन्दी :-

मॉडल	खेत की परिधि/परिमाण (मीटर)	कुल लागत (रु.)	लागत प्रति मीटर (रु.)
1	2	3	4
मॉडल 1	100	43246	430
मॉडल 2	500	209082	420
मॉडल 3	1000	416011	420
मॉडल 4	2000	830357	420
मॉडल 5	3000	1244460	410

4.2 आर.सी.सी. पोल के साथ कांटेदार तार की बाड़बन्दी :-

मॉडल	खेत की परिधि/परिमाण (मीटर)	कुल लागत (रु.)	लागत प्रति मीटर (रु.)
1	2	3	4
मॉडल 1	100	54946.53	550
मॉडल 2	500	265355.59	530
मॉडल 3	1000	528002.01	530
मॉडल 4	2000	1053781.39	530
मॉडल 5	3000	1579317.50	530

5. योजना के अन्तर्गत चैनलिंग बाड़ लगाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान का प्रावधान।

5.1 लोहे के पोल के साथ चैनलिंग बाड़बन्दी :-

मॉडल	खेत की परिधि/परिमाण (मीटर)	कुल लागत (रु.)	लागत प्रति मीटर (रु.)
1	2	3	4
मॉडल 1	100	56999.00	570
मॉडल 2	500	278771.00	560
मॉडल 3	1000	647207.00	650
मॉडल 4	2000	1292793.00	650
मॉडल 5	3000	1938203.00	650

5.2 आर.सी.सी. पोल के साथ चैनलिंग बाड़बन्दी :-

मॉडल	खेत की परिधि/परिमाण (मीटर)	कुल लागत (रु.)	लागत प्रति मीटर (रु.)
1	2	3	4
मॉडल 1	100	67745.00	680.00
मॉडल 2	500	329823.00	660.00
मॉडल 3	1000	709920.00	710.00
मॉडल 4	2000	1417613.00	710.00
मॉडल 5	3000	2125307.00	710.00

6. योजना के अन्तर्गत कम्पोजिट बाड़बन्दी लगाने के लिए 70 प्रतिशत उपदान का प्रावधान।

6.1 कम्पोजिट बाड़बन्दी (0.60 मीटर चैनलिंग जाली तथा इसके उपर 0.90 मीटर सौर ऊर्जा बाड़, कुल ऊंचाई 1.5 मीटर व सौर ऊर्जा प्रवाहित तारों की कुल संख्या 4) :-

मॉडल	बाड़ की परिधि (रनिंग मीटर)	तार के बाड़ की संख्या व ऊंचाई	लागत प्रति रनिंग मीटर (रु.)	वित्तीय सहायता प्रति रनिंग मीटर @ 70% (रुपये)	लाभार्थी देय हिस्सा प्रति रनिंग मीटर 30% (रुपये)
मॉडल 1	100	4 तार (1.50 मी.)	1370.00	959.00	411.00
मॉडल 2	200	4 तार (1.50 मी.)	1080.00	756.00	324.00
मॉडल 3	300	4 तार (1.50 मी.)	990.00	693.00	297.00
मॉडल 4	500	4 तार (1.50 मी.)	910.00	637.00	273.00
मॉडल 5	750	4 तार (1.50 मी.)	870.00	609.00	261.00
मॉडल 6	1000	4 तार (1.50 मी.)	850.00	595.00	255.00
मॉडल 7	1500	4 तार (1.50 मी.)	830.00	581.00	249.00
मॉडल 8	2000	4 तार (1.50 मी.)	820.00	574.00	246.00
मॉडल 9	3000	4 तार (1.50 मी.)	810.00	567.00	243.00

6.2 कम्पोजिट बाड़बन्दी (0.60 मीटर चैनलिनिक जाली तथा इसके उपर 1.20 मीटर सौर ऊर्जा बाड़, कुल ऊंचाई 1.8 मीटर व सौर ऊर्जा प्रवाहित तारों की कुल संख्या 5) :-

मॉडल	बाड़ की परिधि (रनिंग मीटर)	तार के बाड़ की संख्या व ऊंचाई	लागत प्रति रनिंग मीटर (रु.)	वित्तीय सहायता प्रति रनिंग मीटर @ 70% (रुपये)	लाभार्थी देय हिस्सा प्रति रनिंग मीटर 30% (रुपये)
मॉडल 1	100	5 तार (1.80 मी.)	1420.00	994.00	426.00
मॉडल 2	200	5 तार (1.80 मी.)	1120.00	784.00	336.00
मॉडल 3	300	5 तार (1.80 मी.)	1030.00	721.00	309.00
मॉडल 4	500	5 तार (1.80 मी.)	950.00	665.00	285.00
मॉडल 5	750	5 तार (1.80 मी.)	910.00	637.00	273.00
मॉडल 6	1000	5 तार (1.80 मी.)	890.00	623.00	267.00
मॉडल 7	1500	5 तार (1.80 मी.)	870.00	609.00	261.00
मॉडल 8	2000	5 तार (1.80 मी.)	860.00	602.00	258.00
मॉडल 9	3000	5 तार (1.80 मी.)	850.00	595.00	255.00

6.3 कम्पोजिट बाड़बन्दी (1.20 मीटर चैनलिनिक जाली तथा इसके उपर 0.30 मीटर सौर ऊर्जा बाड़, कुल ऊंचाई 1.5 मीटर व सौर ऊर्जा प्रवाहित तारों की कुल संख्या 2) :-

मॉडल	बाड़ की परिधि (रनिंग मीटर)	तार के बाड़ की संख्या व ऊंचाई	लागत प्रति रनिंग मीटर (रु.)	वित्तीय सहायता प्रति रनिंग मीटर @ 70% (रुपये)	लाभार्थी देय हिस्सा प्रति रनिंग मीटर 30% (रुपये)
मॉडल 1	100	2 तार (1.50 मी.)	1490.00	1043.00	447.00
मॉडल 2	200	2 तार (1.50 मी.)	1200.00	840.00	360.00
मॉडल 3	300	2 तार (1.50 मी.)	1100.00	770.00	330.00
मॉडल 4	500	2 तार (1.50 मी.)	1020.00	714.00	306.00
मॉडल 5	750	2 तार (1.50 मी.)	980.00	686.00	294.00
मॉडल 6	1000	2 तार (1.50 मी.)	970.00	679.00	291.00
मॉडल 7	1500	2 तार (1.50 मी.)	950.00	665.00	285.00
मॉडल 8	2000	2 तार (1.50 मी.)	940.00	658.00	282.00
मॉडल 9	3000	2 तार (1.50 मी.)	930.00	651.00	279.00

6.4 कम्पोजिट बाड़बन्दी (1.20 मीटर चैनलिनक जाली तथा इसके उपर 0.60 मीटर सौर ऊर्जा बाड़, कुल ऊंचाई 1.8 मीटर व सौर ऊर्जा प्रवाहित तारों की कुल संख्या 3) :-

मॉडल	बाड़ की परिधि (रनिंग मीटर)	तार के बाड़ की संख्या व ऊंचाई	लागत प्रति रनिंग मीटर(रु.)	वित्तीय सहायता प्रति रनिंग मीटर @ 70% (रुपये)	लाभार्थी देय हिस्सा प्रति रनिंग मीटर 30% (रुपये)
मॉडल 1	100	3 तार (1.80 मी.)	1530.00	1071.00	459.00
मॉडल 2	200	3 तार (1.80 मी.)	1240.00	868.00	372.00
मॉडल 3	300	3 तार (1.80 मी.)	1140.00	798.00	342.00
मॉडल 4	500	3 तार (1.80 मी.)	1060.00	742.00	318.00
मॉडल 5	750	3 तार (1.80 मी.)	1020.00	714.00	306.00
मॉडल 6	1000	3 तार (1.80 मी.)	1000.00	700.00	300.00
मॉडल 7	1500	3 तार (1.80 मी.)	980.00	686.00	294.00
मॉडल 8	2000	3 तार (1.80 मी.)	970.00	679.00	291.00
मॉडल 9	3000	3 तार (1.80 मी.)	960.00	672.00	288.00



(ब.) कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एंटी हेल नेट्स)

1. राज्य के सभी सब्जी उत्पादक किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाने हेतु एंटी हेल नेट्स पर 80 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान। अधिकतम 5 हजार वर्गमीटर क्षेत्र के लिए।

(स.) ग्रीन हाउस नवीकरण योजना :

1. निर्माण के पांच वर्ष पश्चात् या प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होने पर पॉलीथीट को बदलने हेतु 70 प्रतिशत अनुदान।

(3) मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना :-

दावेदारों को इस योजना के तहत निम्न सहायता उपलब्ध है:

1. मृत्यु पर 3,00,000 रुपये।
2. स्थाई रूप से रीढ़ की हड्डी के टूटने पर 1,00,000 रुपये।
3. दोनों बाजू/दोनों टांगें, एक बाजू/एक टांग के पूर्ण रूप से कटने पर 40,000 रुपये।
4. एक बाजू/एक टांग या चार उंगलियां कटने पर 30,000 रुपये।
5. एक से तीन उंगली के पूर्ण रूप से कट जाने पर 20,000 रुपये।
6. आंशिक रूप से उंगली/अंगूठा कटने पर 10,000 रुपये।

(4) मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस परियोजना :

1. 3.6 वर्ग मीटर पॉली टनल से लेकर 2016 वर्ग मीटर के विभिन्न मॉडलों के पॉलीहाउस निर्माण तथा पॉलीहाउस के अन्दर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप सिस्टम) की स्थापना पर 85 प्रतिशत सहायता का प्रावधान।



(5) प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना

1. कृषकों व कृषि, बागवानी तथा पशुपालन विभाग के विस्तार अधिकारियों को इस नई प्रणाली के बारे में अवगत कराने हेतु विस्तृत जागरूकता कार्यक्रम।

2. देसी गाय के गोबर व गोमूत्र और कुछ स्थानीय वनस्पतियों के घोल को रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर फसलों में छिड़काव हेतु प्रयोग में लाना।
3. गौशालाओं को पक्का करने व गोमूत्र और गोबर इकट्ठा करने के लिए गोशाला बदलाव हेतु 80 प्रतिशत उपदान (अधिकतम 8000 रुपये प्रति प्राकृतिक खेती किसान) ।
4. प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले आदान बनाने के लिए किसानों को ड्रमों पर 75 प्रतिशत उपदान (अधिकतम 750/— प्रति ड्रम एवं अधिकतम 3 ड्रम प्रति प्राकृतिक खेती किसान परिवार)।
5. देसी गाय पर 50 प्रतिशत उपदान और अधिकतम 25000/— रुपये व उसके परिवहन के लिए 5 हजार रुपये अतिरिक्त।
6. प्राकृतिक खेती में काम आने वाले आदानों की आपूर्ति हेतु प्रत्येक गाँव में प्राकृतिक खेती संसाधन भण्डार खोलने के लिये 10,000/— रुपये तक की सहायता।
7. योजना के अन्तर्गत कृषकों को आवश्यक प्रशिक्षण व उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
8. किसानों और अधिकारियों को इस खेती विधि की व्यापक जानकारी देने के लिए जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन।
9. प्राकृतिक खेती विधि के बारे में जागरूकता के लिए मेलों, जनमंच कार्यक्रमों में प्राकृतिक खेती विधि से उगाई गई फल-सब्जियों और अनाज की प्रदर्शनियों का आयोजन।
10. वर्ष 2022-23 में 1 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रति पंचायत तैयार किया जायेगा तथा 100 गांव प्राकृतिक खेती गांव बनाए जाएंगे।
11. 10 मंडियों में प्राकृतिक खेती उत्पादों की बिक्री हेतु स्थान निर्धारित किये जाएंगे ,इसके अतिरिक्त 2 नई मंडियां बनाई जाएंगी



(6) जल से कृषि को बल योजना

1. योजना के अन्तर्गत किसानों को सिंचाई जल उपलब्ध करवाने हेतु चैक डैम एवं तालाबों का निर्माण।
2. योजना के अन्तर्गत सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शत प्रतिशत व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन।



(7) प्रवाह सिंचाई योजना

1. योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कूहलों के स्रोतों का नवीनीकरण तथा सामुदायिक क्षेत्रों में कूहलों का सुदृढीकरण ।
2. योजना के अन्तर्गत सभी सामुदायिक कार्यों के लिए शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन ।
3. योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवैल और उथले कुओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत की सहायता ।



(8) हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना चरण- II

जाईका चरण-I के सफल प्रयासों व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जाईका चरण-II को स्वीकृती प्रदान की गई है।, जाईका चरण-2 के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021 में 1010 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह परियोजना प्रदेश के सभी जिलों में अगले नौ वर्षों, (2021 से 2029-30) तक कार्यान्वित की जायेगी ।

परियोजना के उद्देश्य:-

- फसलों के विविधिकरण द्वारा नगदी फसलों की खेती को बढ़ावा देना ।
- कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुरूप बे-मौसमी सब्जियों का उत्पादन ।
- किसानों को विभिन्न प्रकार के समूहों में संगठित करना तथा सब्जी उत्पादन व सिंचाई जल का उचित प्रबंधन एवं उपयोग, रख-रखाव बारे प्रशिक्षित करना ।
- सब्जी उत्पादन क्षेत्रों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना व विपणन हेतु सुविधाएं ।
- सिंचाई योजनाओं जैसे बहाव सिंचाई योजना व उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण ।

(9) कृषि कोष की स्थापना

1. कृषक उत्पादक संगठनों को सीड मनी, बैंक ऋण और क्रेडिट गारंटी के तहत सहायता का प्रावधान।

(10) कृषि से सम्पन्नता योजना

1. योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के अनुकूल क्षेत्रों में आई.एच.बी.टी. के तकनीकी सहयोग से हींग व केसर की खेती की शुरुआत।
2. योजना के अन्तर्गत प्रगतिशील किसानों के खेतों में हींग व केसर की फसलों के प्रदर्शन लगाना।
3. अधिकारियों व किसानों को इस खेती विधि की व्यापक जानकारी देने के लिए आई.एच.बी.टी. में प्रशिक्षणों का प्रावधान।

(11) राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम

1. विभिन्न प्रकार के ऊर्जा चलित उपकरणों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत तक की सहायता।
2. हस्त चलित व छोटे कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत तक की सहायता।

(12) चाय व कॉफी की खेती

किसानों को चाय व कॉफी की सुधरी किस्मों के पौधों का वितरण, खेतों में फसलों के प्रदर्शन व कृषक भ्रमण का प्रावधान।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ:-

{1} राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-

फसल विविधिकरण के माध्यम से सब्जी उत्पादन:

1. खुली परागित किस्मों पर 50 प्रतिशत की सहायता, अधिकतम 15,000 रुपये प्रति हैक्टेयर।
2. संकर किस्मों पर 50 प्रतिशत की सहायता, अधिकतम 25,000 रुपये प्रति हैक्टेयर।



{2} फसल बीमा योजना :-

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :

1. खरीफ 2022 मौसम में किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत ।
2. मक्की और धान के लिए बीमा राशि 30,000 रुपये प्रति हैक्टेयर ।
3. रबी 2022-23 मौसम में किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत ।
4. गेहूँ के लिए बीमा राशि रुपये 30,000 और जौ के लिए बीमा राशि रुपये 25,000 प्रति हैक्टेयर ।

(ख) मौसम आधारित फसल बीमा योजना :

1. खरीफ व रबी मौसम में किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि पर अधिकतम 5 प्रतिशत । किसानों द्वारा देय वास्तविक प्रीमियम तथा बीमा की दर के बीच अंतर को केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जायेगा ।
2. खरीफ मौसम में टमाटर के लिए बीमा राशि 1.0 लाख रुपये, आलू के लिए 75,000 रुपये, अदरक के लिए 1.5 लाख रुपये, फूल गोभी तथा बन्द गोभी के लिए 75,000 रुपये और मटर के लिए 1.0 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर ।
3. रबी 2022-23 मौसम में टमाटर के लिए बीमा राशि 1.0 लाख रुपये, आलू के लिए 62,500 रुपये, लहसुन के लिए 75,000 रुपये व शिमला मिर्च के लिए 40,000 रुपये प्रति हैक्टेयर ।

{3} राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :-

(क) गेहूँ, धान व दालों के अंतर्गत सहायता :

क्र.सं.	घटक / उपघटक	उपदान सहायता
1.	समूह प्रदर्शन	9000 रुपये प्रति हैक्टेयर
2.	धान के संकर बीजों का वितरण	50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रुपये प्रति क्विंटल
3.	प्रमाणित बीजों के वितरण	
(अ)	गेहूँ व धान की 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रुपये प्रति क्विंटल
(ब)	दालों की 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रुपये प्रति क्विंटल
4.	हस्त चलित स्प्रेयर	50 प्रतिशत या अधिकतम 750 रुपये प्रति मशीन
5.	ऊर्जा चलित नैपसैक स्प्रेयर	50 प्रतिशत या अधिकतम 3800 रुपये प्रति मशीन
6.	ट्रैक्टर चलित रोटोवेटर	50 प्रतिशत या अधिकतम 42000 रुपये प्रति मशीन
7.	पावर वीडर	50 प्रतिशत या अधिकतम 25000 रुपये प्रति मशीन
8.	रीपर	50 प्रतिशत या अधिकतम 75000 रुपये प्रति मशीन
9.	धान / मल्टी क्राप थ्रेशर	50 प्रतिशत या अधिकतम 30000 रुपये प्रति मशीन
10.	रीपर-कम-बाईंडर (तीन पहिया)	50 प्रतिशत या अधिकतम 175000 रुपये प्रति मशीन

11.	8 एच. पी या उससे अधिक का पावर टिलर	50 प्रतिशत या अधिकतम 85000 रुपये प्रति मशीन
12.	ट्रैक्टर चलित सीड ड्रिल	50 प्रतिशत या अधिकतम 20000 रुपये प्रति मशीन
13.	पौध संरक्षण रसायन	50 प्रतिशत या 500 रुपये प्रति हैक्टेयर
14.	खरपतवार नियंत्रण	50 प्रतिशत या 500 रुपये प्रति हैक्टेयर

(ख) मक्की के अन्तर्गत सहायता :

क्र. सं	घटक/ उप घटक	उपदान सहायता
1.	समूह प्रदर्शन	6000 रुपये प्रति हैक्टेयर
2.	10 वर्षों से कम पुरानी किस्मों के प्रमाणित बीजों के वितरण पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल

(ग) पोषक अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो मिलट, बार्नयार्ड मिलट, परोसो मिलट, फोक्सटेल मिलट, लिटल मिलट)

क्र. सं	घटक/ उप घटक	उपदान सहायता
1.	समूह प्रदर्शन	6,000 रुपये प्रति हैक्टेयर
2.	10 वर्षों से कम पुरानी किस्मों के प्रमाणित बीजों के वितरण पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल
3.	पौध संरक्षण रसायन	50 प्रतिशत या 500 रुपये प्रति हैक्टेयर
4.	खरपतवार नियंत्रण	50 प्रतिशत या 500 रुपये प्रति हैक्टेयर
5.	हस्त चलित स्प्रेयर	50 प्रतिशत या 750 रुपये प्रति मशीन

{4.} प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना (पी.एम.कुसुम योजना)

1. योजना के अन्तर्गत सौर पम्पों से सिंचाई हेतु व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर पंपिंग मशीनरी लगाने हेतु लघु व सीमान्त वर्ग के किसानों के लिए 85 प्रतिशत की सहायता तथा मध्यम व बड़े वर्ग के किसानों के लिए 80 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान ।

{5.} प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:-

1. योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्तर पर चैक डैम, जल संचयन टैंक व सिंचाई पाईप पर शत-प्रतिशत अनुदान का प्रावधान ।
2. सिंचाई हेतु जल उठाऊ पंप पर किसानों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान ।

{6.} कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (NMAET)

(क) राज्य प्रसार कार्यक्रमों में प्रसार सुधार हेतु समर्थन :-

अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्रों में पहले किए गए निवेश को संगठित करना, अनुसंधान एवं प्रसार की परियोजनाओं में अब तक रही प्रमुख विवशताओं, कमजोरियों व तकनीकी अन्तर को दूर करना तथा कार्यक्रमों को मांग के अनुसार किसान केन्द्रित करना ।

1. खण्ड स्तर पर तकनीकी टीम का गठन ।

2. खण्ड/जिला स्तर पर किसान परामर्श समितियों का गठन।
3. जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्ध अभिकरण { आत्मा } की स्थापना।
4. कृषि व कृषि सम्बद्ध विभाग बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि व बागवानी विश्वविद्यालय योजना में शामिल।
5. रणनीतिक अनुसंधान व प्रसार योजना के आधार पर जिला प्रसार कार्य योजना बनाना।
6. किसानों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण हेतु क्रमशः 250/400, 1,000 व 1,250 रुपये प्रति दिन की सहायता।
7. कृषि प्रदर्शन हेतु 4,000 रुपये प्रति प्रदर्शन प्रति 0.4 हैक्टेयर की सहायता।
8. कृषि पाठशाला आयोजित करने के लिए 29,414 रुपये प्रति पाठशाला की सहायता।
9. किसानों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय भ्रमण हेतु क्रमशः 300, 500 व 1000 रुपये प्रति दिन प्रति किसान की सहायता।
10. किसान समूहों जैसे कि किसान रुचि समूहों, महिला समूहों, किसान संगठनों आदि को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता :
 - क. किसानों में क्षमता/दक्षता विकास आदि हेतु 5,000 रुपये प्रति समूह प्रति वर्ष की सहायता।
 - ख. आवर्ती निधि /कोष हेतु 10,000 रुपये प्रति समूह की सहायता।
 - ग. महिला खाद्य सुरक्षा समूह को प्रशिक्षण, कृषि आदानों आदि हेतु 10,000 रुपये प्रति समूह की सहायता।
11. विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम संगठित समूहों को 20,000 रुपये का प्रोत्साहन। किसानों को राज्य स्तरीय (50,000 रुपये), जिला स्तरीय (25,000 रुपये) व खंड स्तरीय (10,000 रुपये) पुरस्कार व प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
12. कृषि सूचना का प्रचार :
 - क. जिला स्तरीय प्रदर्शनी, किसान मेलों, फल व सब्जी प्रदर्शनी के आयोजन हेतु 4,00,000 रुपये प्रति जिला।
 - ख. स्थानीय विज्ञापन व मुद्रित साहित्य आदि द्वारा सूचना के प्रसार हेतु प्रावधान।
 - ग. सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सांझा करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक तकनीकी पैकेज के विकास हेतु 20,000 रुपये प्रति पैकेज की सहायता।
13. कृषि तकनीक को सुधारना व अपनाना :
 - क. किसानों- वैज्ञानिकों की 2 दिनों की जिला स्तरीय चर्चा के आयोजन हेतु 20,000 रुपये प्रति चर्चा।
 - ख. अनुसंधान – प्रसार – किसान कड़ी को मज़बूत करने हेतु किसान गोष्ठियों के आयोजन हेतु 15,000 रुपये प्रति कार्यक्रम का प्रावधान।



(ख) कृषि मशीनीकरण के अंतर्गत सहायता:

1. 8–20 एच पी के ट्रैक्टर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2.25 लाख रुपये की सहायता ।
2. 20–40 एच पी के ट्रैक्टर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 3.00 लाख रुपये की सहायता ।
3. 8 एच पी व इससे अधिक के पावर टिलर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 85 हजार रुपये की सहायता ।
4. 2 एच पी तक के पावर वीडर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 हजार रुपये की सहायता ।
5. विभिन्न प्रकार के ऊर्जा चलित उपकरणों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला कृषकों को 50 प्रतिशत की सहायता ।
6. हस्त चलित व छोटे कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत की सहायता ।



{7.} राष्ट्रीय सतत खेती मिशन (NMSA):

(क)	एकीकृत कृषि प्रणाली	इकाई	सहायता राशि (रुपये में)
1.	बागवानी आधारित खेती प्रणाली	हैक्टेयर	25,000
2	पशुधन आधारित कृषि प्रणाली		
	1. गाय / भैंस + मिश्रित खेती व चारा	हैक्टेयर	40,000
	2. छोटे जुगाली करने वाले पशु + मिश्रित खेती	हैक्टेयर	25,000
3	मत्स्य आधारित कृषि प्रणाली	हैक्टेयर	25,000
4	कृषि वानिकी, वन-संवर्धन चारागाह प्रणाली	हैक्टेयर	15,000
5	फसल प्रणाली के साथ-साथ सीमा/परिधि/मेड़ों पर वृक्षारोपण + फलदार पौधों, सब्जियों, तिलहन आदि फसलों की इंटर क्रॉपिंग प्रणाली ।	हैक्टेयर	15,000
(ख)	मूल्य संवर्धन और संसाधन प्रबंधन	इकाई	सहायता राशि (रुपये में)

1	ग्रीन हॉउस (1) कृत्रिम रूप से हवादार ट्यूबलर (2) प्लास्टिक टनल	वर्गमीटर वर्गमीटर	609.50 37.50
2	वर्मिकम्पोस्ट		
1.	स्थायी यूनिट (400 क्यूबिक फुट) रुपये 50,000 /— इकाई	क्यूबिक फुट	125
2	एच.डी. वर्मिबेड (64 क्यूबिक फुट) रुपये 8000 /— इकाई	क्यूबिक फुट	125
3	मधुमक्खी पालन	क्लोनी	800
4	प्रशिक्षण		
1.	20 प्रतिभागियों के लिए	.	10,000
2.	50 प्रतिभागियों के लिए	.	20,000

{8.} राष्ट्रीय बांस मिशन:-

1. मिशन के अन्तर्गत बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, संभावित क्षेत्रों में बांस की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों के साथ काम करना।
2. प्राथमिक प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना करना, बांस और बांस आधारित हस्तशिल्प के विपणन को बढ़ावा देना।
3. इस मिशन से कृषि उत्पादकता और आय बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप छोटे व मध्यम वर्ग के किसानों एवं महिलाओं की आजीविका के अवसरों में वृद्धि होगी और साथ-साथ उद्योगों को भी गुणवत्ता संपन्न सामग्री मिलेगी।
4. कृषि विभाग के अलावा वन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विश्वविद्यालय शामिल।

{9.} किसान कॉल सेन्टर :-

1. प्रदेश का कोई भी किसान प्रदेश के किसी भी कोने से सोलन स्थित किसान कॉल सेन्टर में 1800-180-1551 पर मुफ्त फोन कर सकता है।
2. किसान द्वारा 1800-180-1551 नम्बर डायल करने पर किसान कॉल सेन्टर पर एक कृषि विशेषज्ञ से बात होती है। वह विशेषज्ञ को अपनी समस्या बताता है तथा विशेषज्ञ उसे सम्बन्धित सलाह मशवरा देता है।
3. यह सेवा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध है।



{10} कृषि अवसंरचना निधि (एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना 2021):-

1. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड नामक नई योजना लॉच की गई है जो 2020-21 से 2032-33 तक देश में लागू की जा रही है।
2. योजना के अन्तर्गत किसानों को 2 करोड़ रुपये तक ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर अनुदान (interest subvention of 3% per annum up to the limit of 2 crore) देने का प्रावधान।
3. इसके अन्तर्गत किसान और संस्थाएं जैसे प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफओपीओ), एग्री उद्यमी, कृषि स्टार्टअप इत्यादि सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक वाणिज्यिक बैंको या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का लाभ उठा सकेंगे।
4. इसके अन्तर्गत ऋण सुविधा विकासक्षम परियोजना (Viable Projects) के अन्तर्गत कटाई उपरांत प्रबन्धन गोदामों, भूमिगत कक्षा, ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन तथा सामुदायिक किसान संसाधनों के लिए मध्यम से लंबी अवधि (अधिकतम 7 वर्ष) के लिए प्रदान की जा रही है।
5. हिमाचल प्रदेश को योजना के अन्तर्गत 925 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। कृषि विभाग हि0 प्र0 को नोडल विभाग तथा निदेशक कृषि हि0 प्र0 को राज्य नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है।
6. इसके अन्तर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) की स्थापना की गई है। परियोजना प्रबंधन इकाई के कर्मचारी किसानों के साथ लगातार सम्पर्क बनाये हुये हैं।

{11} कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन

योजना के अन्तर्गत राज्य के किसानों को नव विकसित उपकरण, आधुनिक यन्त्र व लिंग अनुकूल उपकरण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देश अनुसार कृषि यन्त्र/उपकरण जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, क्रोप रीपर, रोटावेटर इत्यादि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत तथा महिला किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर व अन्य किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाये जाते हैं।

{12} राष्ट्रीय इ-गवर्नेंस प्लान- कृषि (National e-Governance Plan-Agriculture) :

भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य में राष्ट्रीय इ-गवर्नेंस प्लान-कृषि (National e-Governance Plan on Agriculture) के कार्यान्वयन हेतु नई योजना शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत 3.3 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस योजना को राष्ट्रीय इ-गवर्नेंस प्लान-कृषि के संशोधित दिशानिर्देश अनुसार राज्य में सूचना एवम् प्रौद्योगिकी विभाग व हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क सूत्र :

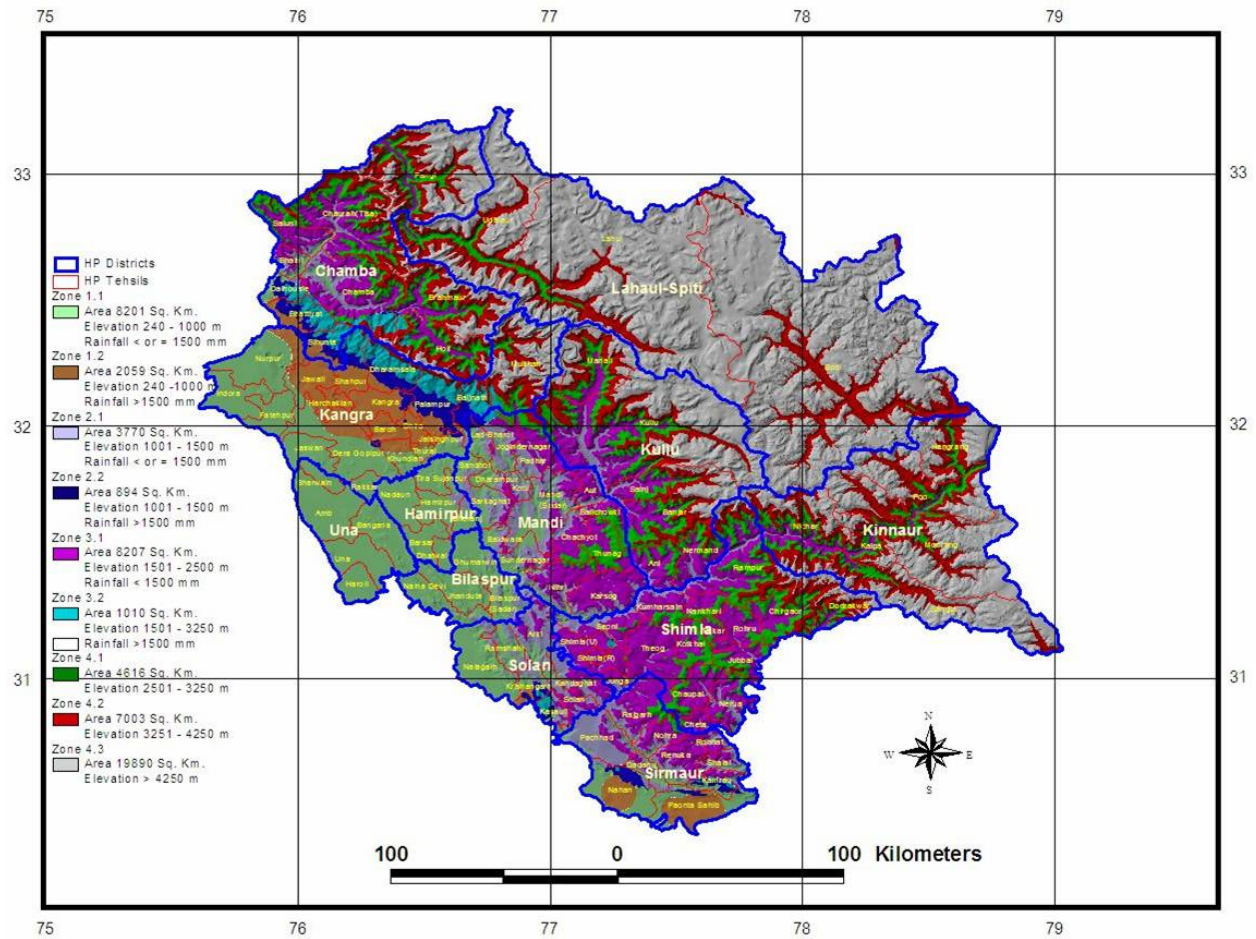
क्र सं	नाम व पता	फोन न०	ई-मेल
1	कृषि निदेशक	0177-2830620	krishibhawan-hp@gov.in
2	अतिरिक्त कृषि निदेशक, धर्मशाला	01892-223281	adadsala@ymail.com
3	निदेशक, बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था, शिमला	0177-2830643	hpsopca@gmail.com
4	परियोजना निदेशक, हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना, हमीरपुर	01972-223059	pmucdp-hp@nic.in
5	कार्यकारी निदेशक, राज्य परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना	0177-2830767	Spnf-hp@gov.in
6	निदेशक समेती, मशोबरा, शिमला	0177-2740240	himsameti@gmail.com
7	प्राचार्य किसान प्रशिक्षण संस्थान, सुंदरनगर	01907-267238	ftcsundernagar@ymail.com
8	वरिष्ठ विश्लेषण रसायनज्ञ, हथौर्न विला, शिमला	0177-2650110	sacshimla@ymail.com
9	कृषि उपनिदेशक, बिलासपुर	01978-222454	ddabilaspur@ymail.com
10	कृषि उपनिदेशक, चंबा	01899-222206	ddachamba@ymail.com
11	कृषि उपनिदेशक, हमीरपुर	01972-225482	ddahamirpur@ymail.com
12	कृषि उपनिदेशक, कुल्लू	01902-222215	ddakullu@ymail.com
13	कृषि उपनिदेशक, मण्डी	01905-236926	ddamandi@ymail.com
14	कृषि उपनिदेशक, नाहन	01702-222225	ddasirmour@ymail.com
15	कृषि उपनिदेशक, पालमपुर	01894-230528	ddakangra@ymail.com
16	कृषि उपनिदेशक, शिमला	0177-2831558	ddagrisml@gmail.com
17	कृषि उपनिदेशक, सोलन	01792-230734	ddasolan@gmail.com
18	कृषि उपनिदेशक, ऊना	01975-226101	ddauna@ymail.com
19	जिला कृषि अधिकारी, किन्नौर	01786-222364	daokinnaur@gmail.com
20	जिला कृषि अधिकारी, लाहौल-स्पिति	01900-222251	daolspiti@ymail.com
21	परियोजना निदेशक, आत्मा, शिमला	0177-2831667	atmashimla@ymail.com

22	परियोजना निदेशक,आत्मा, सोलन	01792-230009	atmasolan@ymail.com
23	परियोजना निदेशक,आत्मा, सिरमौर	01702-223746	atmasirmour@ymail.com
24	परियोजना निदेशक,आत्मा, ऊना	01975-223211	atmauna@ymail.com
25	परियोजना निदेशक,आत्मा, हमीरपुर	01972-225587	atma-ham-hp@gov.in
26	परियोजना निदेशक,आत्मा, बिलासपुर	01978-222379	atmabilaspur@ymail.com
27	परियोजना निदेशक,आत्मा, मण्डी	01905-235182	atmamandi@ymail.com
28	परियोजना निदेशक,आत्मा, कुल्लू	01902-226825	atma-kul-hp@gov.in
29	परियोजना निदेशक,आत्मा, काँगड़ा	01894-230039	atma-kan-hp@gov.in
30	परियोजना निदेशक,आत्मा, चंबा	01899-224140	atmachamba@ymail.com
31	परियोजना निदेशक,आत्मा, किन्नौर	01786-222915	atma-kin-hp@gov.in
32	परियोजना निदेशक,आत्मा, लाहौल—स्पिति	01900-222251	atmalspiti@yahoo.com
33	सहायक परियोजना अधिकारी, काजा	01906-222259	apokaza1906@gmail.com
34	मण्डलीय अभियंता, मण्डी	01905-242234	debhangrotu@ymail.com
35	मण्डलीय अभियंता, शिमला	0177-2831341	deshimla@ymail.com
36	मण्डलीय अभियंता, पालमपुर	01894-231446	depalampur@ymail.com
37	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी अर्की	01796-220616	sdscoarki16@gmail.com
38	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी बनीखेत	01899-254624	sdscoanikhet@ymail.com
39	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी चंबा	01899-223106	sdscochamba@ymail.com
40	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी देहरा	01970-233193	sdscodehra@ymail.com
41	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी धर्मशाला	01892-222125	sdscodsala@gmail.com
42	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी फतेहपुर	01893-256096	sdscofatehpur@ymail.com

43	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी घुमारवीं	01978-254157	sdscoghumarwin@ymail.com
44	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी हमीरपुर	01972-224374	sdscohamirpur@ymail.com
45	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी कुल्लु	01902-225877	sdscokullu@ymail.com
46	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी मण्डी	01905-237523	sdscomandi@ymail.com
47	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी नालागढ़	01795-222322	sdsconalagarh@ymail.com
48	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी नूरपुर	01893-227222	sdsconurpur@ymail.com
49	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी पालमपुर	01894-235588	sdscopalampur@ymail.com
50	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी पांवटा	01704-222476	sdscopaonta@ymail.com
51	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी राजगढ़	01799-221230	sdscorajgarh@gmail.com
52	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी रामपुर	01782-233890	sdscorampur@ymail.com
53	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी रोहडू	01781-241595	sdscorohru@gmail.com
54	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी रिकांगपियो	01786-223848	sdscokinnaur@gmail.com
55	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी शिमला	0177-2633425	sdscoshimla@ymail.com
56	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी सरकाघाट	01905-231067	sdscosarkaghat@ymail.com
57	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी ऊना	01975-224078	sdscouna@ymail.com
58	उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी बगस्याड़	01907-254044	sdscobagsiad@gmail.com

किसानों की सुविधा हेतु विभिन्न मोबाईल ऐप्प,पोर्टल व बेबसाईट

1.	Kisan Suvidha Mobile App	Available in Google play store
2.	PUSA Krishi App	Available in Google play store
3.	www.agrimobile.hp.gov.in	Him m-kisan Portal/ Mobile App
4.	www.soilhealth.dac.gov.in	Soil Testing Portal
5.	www.mkisan.gov.in	M-Kisan SMS Portal
6.	www.farmer.gov.in	Farmer Portal
7.	www.enam.gov.in	eNam Portal
8.	https://agriculture.hp.gov.in	Department of Agriculture,HP
9.	www.himachal.nic.in	Government of HP
10.	www.agricoop.nic.in	Department of Agriculture, Govt. of India
11.	www.hillagric.ac.in	CSKHPKV, Palampur
12.	www.yspuniversity.ac.in	UHF, Nauni, Solan
13.	www.hpsamb.org	HP State Agricultural Marketing Board
14.	www.icar.org.in	ICAR, Pusa
15.	www.teaboard.gov.in	Tea Board of India
16.	www.hpcdp.nic.in	JICA , Hamirpur
17.	www.hpssopca.org	HP State Seed & Organic Produce Certification Agency
18.	www.weathershimla.gov.in	Meteorological Centre, Shimla
19	pm kusum agri.hp.gov.in	PM KUSUM Scheme
20	https://pmfby.gov.in/	PMFBY
21	https://agridbt.hp.gov.in	For 5 Agricultural scheme(DBT)
22	agrimachinery.nic.in	Govt. of India Agricultural mechanization portal



अधिक जानकारी व सहायता प्राप्त करने के लिए अपने निकटतम कृषि कार्यालय, ब्लाक स्तर पर कृषि विशेषज्ञ, जिले के कृषि उपनिदेशक से या किसान कॉल सेंटर की मुफ्त फोन सेवा 1800-180-1551 पर सम्पर्क करें।